संख्या– 56 VI/2005–30(पर्य0)2003

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन,
पटेल नगर, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग : देहरादून : दिनांक 15 जनवरी, 2005

विषयः–जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–126प0अ0/2002–30पर्य0/2003, दिनांक 29 मार्च, 2003 एवं आपके पत्र संख्या–438/2–6–215/03–04 दिनांक, 22–12–2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला योजना के अन्तर्गत सप्तकुण्ड देवांगन का पर्यटन विकास (जनपद चमोली) हेतु सम्पूर्ण अवशेष कुल रू0 04.00 लाख (रूपये चार लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आंबटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेश में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– उपरोक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन होगी कि अन्तिम किश्त के रूप में दी जा रही धनराशि से सभी स्वीकृत कार्यो को पूर्ण करा लिया जायगा। इस लागत में पुनरीक्षण अनुमन्य न होगा।

4– आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद में व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31 मार्च, 2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त योजना के लिये प्रस्तावित धनराशि उक्त जनपद के जिलायोजना में आवंटित कुल प्लान परिव्यय के अन्तर्गत ही है।

8– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

9– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–91–जिला योजना–07–पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाएं–42–अन्य व्यय के मानक मद के नामें डाला जायेगा।

10– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–2350/वित्त अनुभाग–3/2004–05/दिनांक 11 जनवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति की दशा में प्राप्त किए जा रहे है।

भवदीय,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

MIC-1052

पृष्ठांकन संख्या– VI-I/2005, 30(पर्य0)2003 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4– निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
5– एल0एम0पन्त, वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन।
6– अपर सचिव, नियोजन, उत्तरांचल शासन।
7– जिलाधिकारी, चमोली।
8– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
9– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

15/1/05

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।